



Neutral Citation No - 2026:AHC:29404

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-ए संख्या - 2025 की 9510

व्रजेश पटेल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अतिप्रिया गौतम, प्रत्युष श्रीवास्तव, वरिष्ठ
अधिवक्ता, विनोद कुमार मिश्रा
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अतिप्रिया गौतम के पक्षसार धारक श्री ऋषभ केसरवानी ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि रिट याचिका निष्फल हो गई है और उसे तद्रूप खारिज किया जाए।

2. रिट याचिका निष्फल हो जाने के कारण खारिज की जाती है।

10 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"